


मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004
//अधिसूचना//

भोपाल, दि० ०१/४/२०२१

क्रमांक-एफ 50-3/2021/20-3::मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 की धारा-16(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ० (श्रीमती) रामा मिश्रा, से०नि० प्राध्यापक (शिक्षा), निवासी-इंदौर, म०प्र० को माध्यमिक शिक्षा मण्डल में उप सभापति (उपाध्यक्ष) के पद पर म०प्र० असाधारण राजपत्र में नाम निर्देशन संबंधी अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्त करता है।

2/ उपसभापति (उपाध्यक्ष) के कर्तव्य एवं सेवा शर्तें म०प्र० माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 की धारा-16(2)-(3) के अनुसार रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(प्रमोद सिंह)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दि० ०१/४/२०२१

पृ०क्रमांक-एफ 50-3/2021/20-3
प्रतिलिपि:-

- (1) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
- (2) प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- (3) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (4) अपर महानिदेशक, एन०सी०सी० संचालनालय, भोपाल।
- (5) पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
- (6) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल/मदरसा बोर्ड/भारत स्काउट एवं गाईड, भोपाल, म०प्र०।
- (7) विशेष सहायक, मान० राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
- (8) प्रबंध संचालक, म०प्र० पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल।
- (9) संचालक, म०प्र० राज्य मुक्त शिक्षा परिषद, भोपाल।
- (10) निदेशक, महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान, भोपाल।
- (11) समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश।
- (12) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

निरन्तर...2

//2//

- (13) जन संपर्क प्रकोष्ठ, वल्लभ भवन, भोपाल।
(14) नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल, म०प्र०।
(15) डॉ० (श्रीमती) रामा मिश्रा, से०नि० प्राध्यापक (शिक्षा), निवासी-बी-104,
बीसीएम सिटी, नवलखा स्क्योर, ए०बी० रोड इंदौर, जिला-इंदौर,
म०प्र०
(16) फोल्डर प्रति,
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


14/11/2021

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग